

कार्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर छ.ग.

Phone No. (0771)2443297/Fax No.(0771)2443596

E-Mail Address : scert_raipur@yahoo.co.in

अनापत्ति प्रमाण पत्र

रायपुर, दिनांक 28-12-05

क्र./परि.7/डी.एड./बी.एड./एम.एड./2005-06/5253/राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन

को शैक्षणिक सत्र 2006-07 से डी.एड./बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है-

1. संस्था द्वारा केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी व्यक्तियों को ही इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा ।
2. संस्था द्वारा स्वीकृत स्थान में ही डी.एड./बी.एड./एम.एड. कक्षाएं आरंभ की जायेगी । इसके अतिरिक्त बतौर शाखा के रूप में कक्षाएं संचालित नहीं की जायेगी ।
3. संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के लोकहित में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
4. संस्था को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पश्चिम क्षेत्र श्यामला हिल्स, भोपाल से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. संस्था को राज्य शासन द्वारा कोई अनुदान/सहायता नहीं दी जावेगी ।
7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुसार पर्याप्त राशि, भवन, फर्नीचर एवं समुचित संसाधनों की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी ।
8. शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दूर शिक्षा के माध्यम से संचालित नहीं किया जा सकेगा ।
9. किसी सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक को संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

(एन.पी.कोशिक) 28/12/05
संयुक्त संचालक,
वास्ते संचालक

पृष्ठा.क्र./परि.7/डी.एड./बी.एड./एम.एड./2005-06/5254 रायपुर, दिनांक : 28-12-05

प्रतिलिपि :

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, रायपुर
4. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पश्चिम क्षेत्र मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल.

5. प्रचार/रजिस्ट्रार/प्रबंधक गैली नर्सरी देवी सचिवालय रायपुर उनके आवेदन पत्र दिनांक 29.12.05 के संदर्भ में सूचनार्थ (विभाग संवत् 2006 ई संस्था/राज्य/राज्यवेद)

(एन.पी.कोशिक) 28/12/05
संयुक्त संचालक,
वास्ते संचालक